कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946–220003 ई.मेल: cfwestern49@rediffmail.com.

पत्र संख्या 845 / 12-1 हल्द्वानी दिनांक, जनवरी, 01 2023।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **उत्तराखण्ड राज्य में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड़ के किनारे प्लॉट संख्या 08 एवं 09 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल की (किसान सेवा केन्द्र) हेतु 0.025 है0 वन भूमि के लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून का पत्रांक 708/12–1 दिनांक 06.10.2023।

महोदय,

संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में आपत्तियॉ लगायी गयी, जिसके कम में प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग, रामनगर द्वारा अपनी पत्र संख्या 1550/12–1 दिनांक 26.12.2023 आपत्तियों की आख्या प्रेषित की गयी है, जो निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	आपत्ति	प्रतिउत्तर
1	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्ताव में संलग्न विशेष सिफारिश में उल्लेख किया गया है कि उत्तरा प्रेदश शासन की पत्र संख्या 6371/14–2–576/74 दिनांक 20.06.1978 में वर्णित है कि यदि श्री घिल्डियाल, जिलाधिकारी नैनीताल एवं लोक निर्माण विभाग से पैट्रोल पम्प संचालन हेतु अनापत्ति पत्र प्राप्त कर लेते हैं तो कृषि सेवा केन्द्र के साथ–साथ पैट्रोल पम्प का संचालन किये जाने में शासन को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है कि लीजधारक द्वारा शासन के उक्त आदेशों के क्रम में सम्बन्धित जिलाधिकारी व लो0नि0वि0 से कृषि सेवा केन्द्र के साथ पैट्रोल पम्प संचालन किये जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है अथवा नहीं, यदि अनापत्ति प्राप्त नहीं की गयी है तो कृषि सेवा केन्द्र के स्थान पर पैट्रोल पम्प संचालन किन परिस्थितियों में किया जा रहा है स्थिति स्पष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभागीय कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार दिनांक 02.01.1979 को जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा निर्गत सशर्त प्रमाण पत्र एवं अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड सा0 नि0 विभाग, रामनगर द्वार निर्गत पत्र संख्या 3050/17सी दिनांक 17.10.78 लीजधारक द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त के क्रम में प्रभाग द्वारा श्री घिल्डियाल को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गयी, जिसकी प्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
2	उक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु संख्या–1 व 2 के प्रतिउत्तर में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है। कृपया इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें कि उल्लंघन के फलस्वरूप प्रकरण पर सम्बन्धितों के विरूद्व क्या कार्यवाही की गयी है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि अरण्यपाल पश्चिमी वृत्त, उत्तर प्रदेश के पत्रांक 6378/5–2(रा0)II दिनांक 16.06.1978, जो सचिव, उत्तरप्रदेश शासन, वन अनुभाग–2 को सम्बोधित है, में उल्लेख किया गया है किः– "श्री घिल्डियाल ने अपने प्रार्थना पत्र 23.05.78 से प्रार्थना की है कि वह सन्दर्भित भूमि पर पैट्रोल पम्प पहले लगाना चाहते है क्योंकि

क्र0सं0	आपत्ति	प्रतिउत्तर
		एग्रो सर्विस सेन्टर के अन्तर्गत विविध कार्य क्षेत्र है, जिनमें मुख्य रूप से कृषि सन्यत्र को किराये पर देना, भूमि सुधार कार्य, कूपों की ठोक करना, पम्प सैटों का लगाना, रखरखाव आदि, वृक्षों के संरक्षण, गोदामों की सुविधा इसके अतिरिक्त खाद, बीज व कीटाणु निरोधक कृषि मशीनों के स्पेयर पार्ट, औजार तथा तेल व चिकनाई की आपूर्ति भी की जाती है। श्री घिल्डियाल का यह कथन है कि उन्हें उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो कार्पोरेशन द्वारा रिटेल आउटलेट की अनुमति प्रदान हो गयी है और इस कार्य हेतु वित्तीय लागत कम होने के कारण सुविधा है। अतः पैट्रोल पम्प को वह सबसे पहले लगाने चाहते है तथा कृषि सन्यत्रों को लगाने में ज्यादा लागत है, जिसे वह बाद में लगायेंगे। यदि श्री घिल्डियाल कृषि सन्यत्र बाद में लगाये तथा इस समय पैट्रोल पम्प लगा ले तथा जिलाधिकारी व सा0नि0वि0 द्वारा अनापत्ति नहीं (No Objection Certificate) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देते है तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।'' जिसके क्रम में शासनादेश संख्या 6374/14–2–578/74 दि 26.06.1978 के माध्यम से सचिव, उत्तरप्रदेश शासन, लखनऊ के द्वारा अनापत्ति जारी की गयी। जिसकी छायाप्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। इसके उपरान्त लीजधारक द्वारा पैट्रोल एवं डीजल पम्प का निर्माण किया गया परन्तु कृषि सेवा केन्द्र स्थापित नहीं किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि लीजधारक को पैट्रोल एवं डीजल पम्प का पहले निर्माण करने की अनुमति उपलब्ध थी, इस कारण प्रभाग स्तर से कृषि सेवा केन्द्र स्थापित न करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी। परन्तु लीजधारक द्वारा इसके पश्चात् अतिथि तक कृषि सेवा केन्द्र स्थापित नहीं किया गया।
3	बिन्दु संख्या 03 के सम्बन्ध में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत लीज भूमि पर लीजधारक द्वारा किसान सेवा केन्द्र संचालित करने के स्थान पर पैट्रोल पम्प का संचालन किया जा रहा है। कृपया इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें कि स्वीकृत प्रयोजन के विपरीत वन भूमि का उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में लीजधारक के विरूद्ध विभाग स्तर से क्या कार्यवाही की गयी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि लीजधारक को कृषि सेवा केन्द्र के साथ–साथ पैट्रोल एवं डीजल पम्प संचालन की अनुमति प्राप्त थी एवं अरण्यपाल पश्चिमी वृत्त, उत्तर प्रदेश के पत्रांक 6378/5–2(रा0)II दिनांक 16.06.1978, जिसमें उल्लेख किया गया है कि:– ''यदि श्री घिल्डियाल कृषि सन्यत्र बाद में लगाये तथा इस समय पैट्रोल पम्प लगा ले तथा जिलाधिकारी व सा0नि0वि0 द्वारा अनापत्ति नहीं (No Objection Certificate) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देते है तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।'' इस कारण प्रभाग स्तर से कृषि सेवा केन्द्र स्थापित न करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी।

क्र0सं0	आपत्ति	प्रतिउत्तर
4	प्रस्ताव में सलग्न प्रपत्र भाग–II प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या 6371/14–2–578/74 दिनांक 26.06.1978 में उल्लेख किया गया है कि यदि लीजधारक जिलाधिकारी जनपद–नैनीताल एवं लोक निर्माण विभाग से पैट्रोल एवं डीजल पम्प खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेते है तो उक्त भूमि पर किसान सेवा केन्द्र के साथ पैट्रोल एवं डीजल पम्प खोले जाने में शासन को कोई आपत्ति नहीं है। कृपया इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें कि क्या यह वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुकूल है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त आदेश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वन अधिनियम 1980 लागू होने से पूर्व जारी किया गया है। अतः उक्त के सम्बन्ध में स्थिति शासन स्तर से ही स्पष्ट किया जाना उचित होगा। जिस हेतु विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपनी पत्र संख्या 1468/12–1 दिनांक 18.12.2023 से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसकी प्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या मय संलग्नकों सहित सादर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक 845 / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग, रामनगर को उनकी पत्र संख्या 1550/12–1 दिनांक 26.12.2023 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

Sandeep.bhandari01@gmail.com/Western_Circle/2023-24